समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नही। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नही होगी।

दूरभाष : 2529540,25275320
तार : यूनिव्हरसिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय–भवन
इन्दौर–452001

क.:सं.वि.क./रैगिंग रोकथाम मासिक रिपोर्ट/(31) 2025/1364 दिनांक:– 13 JUN 2025

प्रति,

1 प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला – इन्दौर/खंडवा/खरगोन/धार/झाबुआ/बडवानी/बुरहानपुर/अलिराजपुर.

2 विभागाध्यक्ष/निदेशक,
समस्त अध्ययनशालाएँ,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विषय :– प्रतिमाह " रैगिंग " सम्बन्धी जानकारी भेजने एवं रैगिंग रोकथाम करने हेतु यू.जी.सी. के नियमानुसार कार्यवाही करने बाबद।

महोदय/महोदया,

1 निर्देशानुसार सूचित किया जाता हैं कि यू.जी.सी. द्वारा रैगिंग की रोकथाम हेतु रेगूलेशन 2009 का प्रावधान किया गया हैं। उक्त रेगूलेशन का पूर्णतः अनुपालन आदेशात्मक हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/अध्ययनशालाओं के प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष/संचालक/निदेशक को निर्देशित किया जाता हैं कि रैगिंग की रोकथाम हेतु अपने शैक्षणिक संस्थानों में रेगूलेशन 2009 के अनुसार एन्टी रैगिंग कमेटी एवं एन्टी रैगिंग स्क्वाड गठित कर, उक्त संबध मे किये गये प्रयासो से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क सचिव से प्राप्त पत्र क.**D.O.No.F. 1-15/2016(ARC)** दिनांक 13 मई 2025 (संलग्न) के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कर दिनांक 31.07.2025 तक अनिवार्य रूप से अवगत करायें। (कृपया यू.जी. सी. की वेबसाइट **www.ugc.gov.in & www.antiragging. in** का अवलोकन करें।)

2. आपको अपने महाविद्यालय/अध्ययनशाला की रैगिंग संबधी जानकारी संलग्न प्रारूप में (प्रति माह) विश्वविद्यालय को भेजना अतिआवश्यक हैं। मासिक रिपोर्ट **dsw @dauniv.ac.in** पर ई. मेल द्वारा ही प्रेषित करें।

अनुकमांक	समयावधि	मासिक रिपोर्ट विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि।
01.	दिनांक 01.07.2025 से 31.07.2025	दिनांक 05.08.2025 तक
02.	दिनांक 01.08.2025 से 31.08.2025	दिनांक 05.09.2025 तक
03.	दिनांक 01.09.2025 से 30.09.2025	दिनांक 05.10.2025 तक
04.	दिनांक 01.10.2025 से 31.10.2025	दिनांक 05.11.2025 तक
05.	दिनांक 01.11.2025 से 30.11.2025	दिनांक 05.12.2025 तक
06.	दिनांक 01.12.2025 से 31.12.2025	दिनांक 05.01.2026 तक
07.	दिनांक 01.01.2026 से 31.01.2026	दिनांक 05.02.2026 तक
08.	दिनांक 01.02.2026 से 29.02.2026	दिनांक 05.03.2026 तक
09.	दिनांक 01.03.2026 से 31.03.2026	दिनांक 05.04.2026 तक
10.	दिनांक 01.04.2026 से 30.04.2026	दिनांक 05.05.2026 तक
11.	दिनांक 01.05.2026 से 31.05.2026	दिनांक 05.06.2026 तक
12.	दिनांक 01.06.2026 से 30.06.2026	दिनांक 05.07.2026 तक

रैगिंग से संबंधित शासन एवं **UGC** के द्वारा समय–समय पर जारी पत्रों का अवलोकन कर, अपने महाविद्यालय/संस्थान मे समय–समय पर तद्नुसार कार्यवाही कार्यान्वित करें तथा विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई छात्र/छात्राओं से संबंधित गतिविधियों की सूचनाओं को डाउन लोड कर, उन्हें सूचना पटल पर चस्पा करने का कष्ट करें।

3/ पर्यावरण हितेषी परिसर की परिकल्पना अनुसार यह निर्देशित किया जाता हैं कि रैगिंग की मासिक रिपोर्ट **dsw @dauniv.ac.in** पर ई. मेल द्वारा ही प्रेषित करें। यदि समय सीमा पर रैगिंग रिपोर्ट प्रेषित नहीं की जाती हैं तो यह एक गंभीर लापरवाही का कृत्य होगा तथा ऐसी स्थिति में यू.जी.सी. विनियम के पेरा कं 94 के तहत संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्न :– 1/एन्टी रैगिंग मासिक रिपोर्ट का प्रारूप।
2/एन्टी रैगिंग कमेटी एवं एन्टी रैगिंग स्क्वाड गठन संबंधी निर्देशों की जानकारी।

भवदीय

कुलसचिव

पृ. क.:सं.वि.क./ रैगिंग रोकथाम मासिक रिपोर्ट /(31)2025/364 दिनांक :- 13 JUN 2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादूर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 भारत।
2. कुलगुरूजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

अधिष्ठाता, (छात्र कल्याण)

ज्ञान विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी

सचिव

Prof. Manish R. Joshi

Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

(Ministry of Education, Govt. of India)

D.O. No.F. 1-15/2016 (ARC) | 23 वैशाख, 1947 / 13th May, 2025

Subject: Strengthening Compliance with UGC Anti-Ragging Regulations and Monitoring Mechanisms

आदरणीय महोदया/महोदय,

The University Grants Commission (UGC) remains committed to ensuring a safe and conducive learning environment in all Higher Educational Institutions (HEIs). It has been a year since UGC issued its notification mandating the implementation of robust anti-ragging mechanisms, including the Mentor-Mentee system, legal counsel support, institutional accountability, and surprise compliance checks.

As part of a structured review, UGC now seeks:

1. **Compliance Verification:** HEIs and Regulatory Bodies are requested to submit reports detailing the implementation status of the UGC guidelines at email. raggingcell@yahoo.in. These reports should highlight institutional efforts to prevent ragging, including awareness drives, disciplinary measures, and proactive engagement with students.
2. **Strengthened Monitoring Measures:** All Regulatory Councils and Monitoring Agencies must streamline anti-ragging compliance checks, enhance surprise inspections, and ensure strict enforcement of preventive policies within educational institutions.
3. **Inter-Council Coordination:** To enhance enforcement, UGC invites AICTE, NMC, INC, and other relevant bodies to collaborate on compliance reviews and institutional inspections. A meeting to coordinate further action will be scheduled soon.

We urge all recipients to provide a detailed status report by **1st June, 2025** to ensure timely and effective implementation of anti-ragging measures.

सादर,

भवदीय,

(मनिष जोशी)

सेवा में,

1. सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।
2. सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य।
3. सभी नियामक निकायों।

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

D.O. No.F. 1-15/2016 (ARC) — 23 वैशाख, 1947 / 13th May, 2025

Subject: Strengthening Compliance with UGC Anti-Ragging Regulations and Monitoring Mechanisms

आदरणीय महोदया/महोदय,

The University Grants Commission (UGC) remains committed to ensuring a safe and conducive learning environment in all Higher Educational Institutions (HEIs). It has been a year since UGC issued its notification mandating the implementation of robust anti-ragging mechanisms, including the Mentor-Mentee system, legal counsel support, institutional accountability, and surprise compliance checks.

As part of a structured review, UGC now seeks:

1. **Compliance Verification:** HEIs and Regulatory Bodies are requested to submit reports detailing the implementation status of the UGC guidelines at email. raggingcell@yahoo.in. These reports should highlight institutional efforts to prevent ragging, including awareness drives, disciplinary measures, and proactive engagement with students.
2. **Strengthened Monitoring Measures:** All Regulatory Councils and Monitoring Agencies must streamline anti-ragging compliance checks, enhance surprise inspections, and ensure strict enforcement of preventive policies within educational institutions.
3. **Inter-Council Coordination:** To enhance enforcement, UGC invites AICTE, NMC, INC, and other relevant bodies to collaborate on compliance reviews and institutional inspections. A meeting to coordinate further action will be scheduled soon.

We urge all recipients to provide a detailed status report by **1st June, 2025** to ensure timely and effective implementation of anti-ragging measures.

सादर,

भवदीय,

(मनिष जोशी)

सेवा में,

1. सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति।
2. सभी महाविद्यालयों के प्रायार्य।
3. सभी नियामक निकायों।

Outlook

Regarding Strengthening Compliance with UGC Anti-Ragging Regulations and Monitoring Mechanisms

DSW

From Helpline <helpline@antiragging.in>

Date Tue 5/13/2025 5:29 PM

To Vice Chancellor VTU <vc@vtu.ac.in>; vcaub@blr.amity.edu <vcaub@blr.amity.edu>; indu@apu.edu.in <indu@apu.edu.in>; vice-chancellor@chanakyauniversity.edu.in <vice-chancellor@chanakyauniversity.edu.in>; vc@svyasa.edu.in <vc@svyasa.edu.in>; vc@svyasa.edu.in <vc@svyasa.edu.in>; vc@vidyashilp.edu.in <vc@vidyashilp.edu.in>; vc@alliance.edu.in <vc@alliance.edu.in>; drjayakarsm@gmail.com <drjayakarsm@gmail.com>; vc@bub.ernet.in <vc@bub.ernet.in>; vc@bcu.ac.in <vc@bcu.ac.in>; vc@base.ac.in <vc@base.ac.in>; nrbmurthy@base.ac.in <nrbmurthy@base.ac.in>; vc@christuniversity.in <vc@christuniversity.in>; vc@cmr.edu.in <vc@cmr.edu.in>; vicechancellor@dsu.edu.in <vicechancellor@dsu.edu.in>; vc@gardencity.universlty <vc@gardencity.universlty>; director@iimb.ac.in <director@iimb.ac.in>; office.director@iisc.ac.in <office.director@iisc.ac.in>; president@jncasr.ac.in <president@jncasr.ac.in>

1 attachment (243 KB)

Strengthening Compliance with UGC Anti-Ragging Regulations and Monitoring Mechanisms.pdf;

CAUTION: This email originated from outside the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe.

Respected Madam/Sir,

Please find enclosed herewith an advisory issued by Secretary, UGC regarding Strengthening Compliance with UGC Anti-Ragging Regulations and Monitoring Mechanisms. You are requested to take appropriate action.

Best Regards
Anti-Ragging Cell
New Delhi

Seen 26/05/25

695

DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA, INDORE

- ☞ महाविद्यालय परिसर में अथवा उससे बाहर रैगिंग अपराध है।
- ☞ रैगिंग को कतई बर्दाश्त न करते हुए प्राचार्य से एकदम शिकायत करें ।
- ☞ रैगिंग करने वालों के विरुद्ध प्राचार्य, विश्वविद्यालय तथा पुलिस द्वारा त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जा कर सजा दी जावेगी ।
- ☞ Ragging is a crime.
- ☞ Do not tolerate Ragging. Report at once to the authorities for taking strict action.
- ☞ Strong legal action will be taken against the guilty by the Principal of the College, Registrar of the University and the Police.

Registrar
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

टोल फ्री नं. (Toll Free No.) 1800-180-5522 (24 × 7)

3

क्रमांक 359 /रास/यू.ए. 3/2014 दिनांक 04 अप्रैल, 2014

17
15/4/14

प्रति,

कुलपति,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्य प्रदेश।

विषय :- विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग की रोकथाम के लिए प्रभावी पहल करने के सम्बन्ध में।

— 00 —

आपको विदित है कि रैगिंग की रोकथाम के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के व्यापक दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की बैठक में लिये गये निर्णयों के संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन के स्तर से समुचित दिशा निर्देशों से आपको अवगत भी कराया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय, मध्यप्रदेश शासन के दिशा निर्देश; रैगिंग से सम्बन्धित प्रकरणों की समय -- समय पर समीक्षा एवं प्रचार--प्रसार के माध्यमों से जागरूकता सम्बन्धी प्रतिबद्ध प्रयासों के फलस्वरूप रैगिंग की घटनाओं में कमी आयी है किन्तु अभी भी यदा- कदा रैगिंग की घटनाएं देखने में आती है।

माननीय कुलाधिपति की मंशा है कि आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व आपके एवं संस्था प्रमुख के स्तर पर समुचित उपाय कर लिए जाएं जिससे कि रैगिंग की घटना घटित ही न हो।

कृपया देखें कि:--

1.रैगिंग की रोकथाम के लिए गठित समितियों का आवश्यकतानुसार पुनर्गठन कर उन्हें सक्रिय रखा जाए।

2.विगत वर्षो में हुई घटनाओं व परिलक्षित न्यूनताओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दृष्टि से व्यवस्था का पुनरावलोकन कर लिया जावे।

3.रैगिंग की रोकथाम के प्रयासों की सामयिक समीक्षा कर 'जीरो टॉलरेंस नीति' का दृढ़ता से पालन किया जावे।

4.डीन स्टूडेन्ट वेलफेयर के समन्वय से नवागत छात्रों से परिचय सम्मेलनों का आयोजन किया जावे।

5.रैगिंग की रोकथाम के संबंध में सक्सेस स्टोरीज का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।

6.शिक्षा परिसर एवं सार्वजनिक स्थलों, (जहां रैगिंग की घटना घटित होने की संभावना हो सकती है) पर यथासंभव निगरानी रखे जाने की व्यवस्था की जावे।

(विनोद सेमवाल)
राज्यपाल के प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश

कुलपति कार्यालय
दे.अ.वि.वि.
16
11/4/14

Annexure-01

DEVI AHILYA VISHWAVIDYALAYA,INDORE

(To be filled by Principal/Director/ Head of the Institutions and send it to Registrar or Dean, student's Welfare, D.A.V.V., Indore.)

Monthly Report from

1.Name of the Institutions

2.Address

3. Whether Anti Ragging Squads were constituted? Yes/No
4. Whether Anti Ragging Committees were constituted? Yes/No
5. Whether prospectus mentions possible actions against Ragging? Give brief details.
6. Whether names, telephone nos. of authorities to be contacted have been publicized /made available to fresher students? Give brief details.
7. Whether Students are allowed free access to phones (Cell & Landline in hostels for timely reporting) Give brief details.
8. Whether Seniors counseled? Give brief details.
9. Whether freshers counseled? Give brief details.
10. Whether orientation Programme for freshers conducted by professionals? Give brief details.
11. Anti Ragging Squads:
    (a) Date of formation
    (b) No. of Members
    (c) No. of Raids
    (d) Frequency of raids
    (e) Surprise of raids
    (f) Other measures taken by the squad.
    (g) No. of cases detected
    (h) Action taken as follow -up
12. **Anti Ragging Committee**
    (a) Date of formation
    (b) No. of Members
    (c) No. of Raids
    (d) Frequency of Raids
    (e) Surprise Raids
    (f) Other measures taken by the squad.
    (g) No. of cases detected
    (h) Action taken as follow- up

13. Inquiry (ies) Conducted

14. Punishment meter out.
  (a) Suspension

  (b) Restication

  (c) Expulsion

15. No. of F.I.R. (s) logged by Institution with details.

16. Whether phone No./ Mobile No, and permanent address of fresher/ senior students obtained? Give details of the person maintaining this record in your institution.

17. Whether phone No./ Mobile No. and permanent address of students of your institution residing in private hostels/lodges are obtained? Give details of the person who is maintaining this in your institution.

18. Whether administration/ police requested for patrolling?

19. Whether arrangements made to take special case for girls students?

20. Whether affidavit from Fresher /senior/hostlers and parents taken?

21. Whether you have informed canteen, STD/PCO, stationary shop, cyber café managers in campus about Anti-ragging measures?

22. Whether have you put anti ragging posters, hoardings at notices board, common places of your institute?

23. Whether complaint box kept at principal /Director/ HOD office?

Name of the principal/Director /Head

Seal & Signature

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 887 / 2009 में पारित निर्णय दिनांक 8.5.2009 के अनुसार राज्य में संचालित उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग पर अंकुश लगाने हेतु निम्नांकित समितियां गठित की जाती है:–

1. जिला स्तरीय समिति

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य / डायरेक्टर	सदस्य
4.	अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी	सदस्य सचिव
5.	कलेक्टर द्वारा नामंकित (क) मीडिया का प्रतिनिधि (ख) अशासकीय संस्था जो युवा विकास के लिए कार्यरत हो (ग) विद्यार्थी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य

समिति के कर्तव्य:–

1. ग्रीष्म कालीन अवकाश के समय शिक्षण सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा रैगिंग की रोकथाम के लिये बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा करना तथा उसका प्रचार–प्रसार करना।

2. प्रायवेट छात्रावासों का स्थानीय पुलिस / नगर पालिका / नगर निगम कार्यालय में पंजीयन कराना तथा छात्रावासों के संचालन की अनुमति प्रदान करना।

3. जिला / शहर स्तर पर एन्टी रैगिंग स्कवाड का गठन करना।

4. प्रायवेट कोचिंग केन्द्रों का पंजीयन एवं उनके आसपास स्थित चाय–पानी की दुकानों, स्वल्पाहारगृहों पर सतत निगरानी रखना।

2. विश्वविद्यालय स्तरीय समिति

प्रत्येक विश्वविद्यालय में रैगिंग पर नियंत्रण संबंधी निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे:–

1.	छात्र कल्याण अधिष्ठाता	संयोजक
2.	अधिष्ठाता महाविद्यालय विकास परिषद	सदस्य
3.	प्राध्यापक / रीडर / सहा.प्राध्यापक में से 2 प्रतिनिधि	सदस्य

4. कुलसचिव / उपकुलसचिव / सहा.कुलसचिव — सदस्य

समिति के कर्तव्य :—

1. अपने अधिकार क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय करना।

2. संस्था प्रमुखों से रैगिंग संबंधी संस्था स्तर पर गठित समितियों स्कवॉड तथा प्रकोष्ठ की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना।

3. रैगिंग रोकने के तरीकों पर विचार करने के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन तथा काउन्सलिंग—सत्रों का संस्थाओं में आयोजन।

4. रैगिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विश्वविद्यालय अध्यादेश में व्यवस्था करना।

3. शिक्षण संस्था स्तरीय समिति:—

शैक्षणिक संस्थान रैगिंग पर नियंत्रण रखने हेतु दो समितियां गठित करेगा—

क. रैगिंग निरोधक समिति

अध्यक्ष	प्राचार्य / डायरेक्टर / कार्यालय प्रमुख
सदस्य	जिला प्रशासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि
सदस्य	पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोनीत सदस्य
सदस्य	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत मीडिया का प्रतिनिधि
सदस्य	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्राध्यापक
सदस्य	अशासकीय संस्थान जो युवा वर्ग के विकास के लिये कार्य कर रहे हों, का प्रतिनिधि
सदस्य	पालकगण का प्रतिनिधि
सदस्य	वरिष्ठ विद्यार्थी (छात्रसंघ अध्यक्ष)
सदस्य	नव प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी

समिति के कर्तव्य:—

1. संस्थान में रैगिंग रोकने संबंधी वातावरण निर्मित करने के लिये नीति निर्धारण करना।

2. छात्र छात्राओं की समस्याओं पर विचारोपरांत निर्णय लेना।

3. रैगिंग निरोधक दस्ते को समय—समय पर मार्ग दर्शन देना।

स. रैगिंग निरोधक दस्ता

1.	संस्थान प्रमुख द्वारा मनोनीत प्राध्यापक / सहा.प्राध्यापक	सदस्य
2.	संस्थान प्रमुख द्वारा अशैक्षणिक अमले से मनोनीत व्यक्ति	सदस्य
3.	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि	सदस्य

रैगिंग निरोधक दस्ते के कर्तव्य :

1. यह स्क्वाड रैगिंग की रोकथाम के लिए सदैव सजग रहेगा। सत्र के प्रारंभ से ही इस विद्यार्थियों का संस्था प्रमुख, एन्टीरैगिंग समिति, एन्टीरैगिंग स्कवांड स्थानीय पुलिस स्टेशन तथा स्थानीय प्रशासन के दूरभाष नंबर उपलब्ध कराएगा।

2. सभी विद्यार्थियों / पालकों से यह वचन पत्र लेगा कि वे रैगिंग में भाग नहीं लेंगे और यदि वे रैगिंग में भाग लेते हैं तो उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही उन्हें मान्य होगी।

3. छात्रावास का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण करेगा और उन स्थानों पर नियंत्रण रखेगा जहां छात्र एकत्रित होते हैं।

4. ऐन्टीरैगिंग स्कवाड, एन्टीरैगिंग समिति से समय समय पर मार्गदर्शन भी प्राप्त करेगा।

जिला प्रशासन के निर्देश

1. सभी निजी छात्रावास के संचालकों के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन / स्थानीय प्रशासन में पंजीयन करवाना अनिवार्य रहेगा।

2. सभी निजी छात्रावास संचालकों तथा अशासकीय शिक्षण संस्थानों की जिम्मेवारी रहेगी कि वे रैगिंग संबंधी घटना की रिपोर्ट दर्ज करावें।

3. स्थानीय प्रशासन निजी छात्रावास संचालकों तथा शिक्षण संस्थानों की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह विद्यार्थियों के आवागमन पर नजर रखें ताकि रैगिंग की संभावना न रहे। हास्टल प्रभारी, विद्यार्थियों के लिये हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो हास्टल वार्डन को मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जावे।